

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.5(10)नविवि/2014

जयपुर, दिनांक 27/10/2017

आज्ञा

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 20.09.2017 द्वारा नगरीय विकास सेवा के अभियन्ताओं को राजस्थान अभियन्ता सेवा (भवन एवं पथ शाखा) नियम, 1954 के नियम 27 (1) में निहित प्रावधान के तहत एक वर्ष अथवा आगामी विभागीय नियमित पदोन्नति चयन समिति की बैठक होने तक जो भी पहले हो कनिष्ठ अभियन्ताओं को (वेतन श्रृंखला 15600-39100 पे-बैंड-5400 में) आवश्यक/अस्थाई (तदर्थ) आधार पर सहायक अभियन्ता के रिक्त पदों के विरुद्ध सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नत किया जाकर समस्त पदोन्नत सहायक अभियन्ताओं को अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान पर पदोन्नति पर कार्यग्रहण कर विभाग को अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया था।

अतः समस्त संबंधित विकास प्राधिकरण/न्यासों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार पदोन्नत समस्त सहायक अभियन्ताओं को विभागीय आदेश दिनांक 20.09.2017 के अनुसार सहायक अभियन्ता के रिक्त पद के विरुद्ध कार्यग्रहण करवाया जाकर पालना रिपोर्ट तत्काल इस विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।


(राजेंद्र सिंह शेखावत)

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. जिला कलेक्टर, अजमेर, अलवर, सिरोही, बीकानेर, बाडमेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, कोटा, उदयपुर, श्रीगंगानगर, सीकर, पाली, सवाई माधोपुर, चित्तौडगढ़, जैसलमेर, जोधपुर।
4. आयुक्त/सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर।
5. आयुक्त/सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर।
6. आयुक्त/सचिव, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
10. सचिव, जयपुर, जोधपुर, अजमेर विकास प्राधिकरण/समस्त न्यासों को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त पदोन्नत सहायक अभियन्ताओं को अपने कार्यालय में उपस्थिति दर्ज करवाकर विभाग को अवगत करावें।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
9. सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर, आबू, बीकानेर, बाडमेर, भरतपुर, भिवाड़ी, भीलवाड़ा, कोटा, उदयपुर, श्रीगंगानगर, सीकर, पाली, सवाईमाधोपुर, चित्तौडगढ़, जैसलमेर, को सूचनार्थ प्रेषित है।
10. महाप्रबन्धक, आवास विकास एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0, जयपुर।
11. परियोजना निदेशक, आर.यू.आई.डी.पी. राजस्थान जयपुर।
12. परियोजना निदेशक, दिल्ली, मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, पुराना महिला छात्रावास नेहरू पैलेस के पीछे लाल कोठी, टोंक रोड, जयपुर।
13. महाप्रबन्धक, आर.यू.आई.एफ.डी.सी.ओ (RUIFDCO), जयपुर।
14. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान जयपुर।
15. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग।
16. संबंधित सहायक अभियन्तागण
17. रक्षित पत्रावली।

18. ~~वरिष्ठ शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेतन के अफेइटे करवाने के हेतु~~


27/10/17

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

IA श्री 5/2017
30/10